वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) की धारा 9 की उप-धारा (2) के साथ पठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 51ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, राज्य में अपने कारबार का स्थान रखने वाले नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में यथा वर्णित व्यवहारियों के वर्ग को अन्तरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य के अनुक्रम में कारबार के किसी ऐसे स्थान से उसके द्वारा किये गये स्तम्भ संख्यांक 3 में यथा वर्णित माल के विक्रय के संबंध में, स्तंभ संख्यांक 4 में यथा वर्णित सीमा तक, स्तंभ संख्यांक 5 में, यथा वर्णित कालावधि के लिए स्तंभ संख्यांक 6 में यथा वर्णित शर्तों पर इसके द्वारा, रिबेट अनुज्ञात करती है :-

सारणी

क्र. सं.	व्यवहारियों का वर्ग	माल का प्रवर्ग	रिबेट की सीमा	रिबेट की कालावधि	शर्तें
1	2	3	4	5	6
1.	ऐसी औद्योगिक इकाई वाला कोई व्यवहारी जिसके लिए अधिसूचना संख्यांक एफ. 4(35)एफ.डी. ग्रु.IV/87 दिनांक 23.05.1987 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा छूट के लिए पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया है और उसने उक्त अधिसूचना की शर्त 4(ङ)(i) भंग की है।	उक्त अधिसूचना के फायदे प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाई में विनिर्मित माल, उसकी पैकिंग सामग्री को सम्मिलित करते हुए।	उक्त अधिसूचना की शर्त 4(ङ)(i) के भंग के कारण उद्गृहीत या उद्ग्रहणीय कर की संपूर्ण रकम	कालावधि जिसके दौरान छूट का फायदा इकाई द्वारा प्राप्त किया गया है।	(i) ऐसी हिताधिकारी इकाई रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) के अधीन दिनांक 31.03.2007 तक रुग्ण घोषित कर दी गयी है या दिनांक 31.03.2007 तक बंद हो गयी है और हिताधिकारी इकाई की भूमि औद्योगिक प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए विक्रीत नहीं की गयी है; (ii) उस कालावधि के लिए, जिसके लिए इकाई ने उक्त अधिसूचना के अधीन प्रोत्साहन के फायदे प्राप्त किये हैं, प्रभारित या संग्रहीत कर, यदि कोई हो, व्यवहारी द्वारा निक्षिप्त कराया

					जायेगा; और (iii)उस कालावधि के लिए, जिसके लिए उक्त अधिसूचना के अधीन छूट का फायदा प्राप्त किया गया है, किसी निर्धारण में या उक्त अधिसूचना की शर्त 4(ङ)(i) के भंग के कारण परिशुद्धि आदेश में सृजित मांग के विरुद्ध सरकारी राजकोष में निक्षिप्त कर, शास्ति और ब्याज, यदि कोई हो, का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-93]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

In exercise of the powers conferred by section 51B of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003) read with sub-section (2) of section 9 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby allows rebate to the class of dealers as mentioned in column number 2 of table given below, having his place of business in the State in respect of sale of goods as mentioned in column number 3 made by him, from any such place of business in the course of inter-state trade or commerce to the extent as mentioned in column number 4 for the period as mentioned in column number 5, on such conditions as mentioned in column number 6 of the said table:-

Table

S. No.	Class of dealers	Category of goods	Extent of rebate	Period of rebate	Conditions
1	2	3	4	5	6
1.	A dealer having industrial unit for which an Eligibility Certificate for Exemption has been issued by the Competent Authority under notification number F.4(35)FD Gr.IV/87 dated 23.05.1987 and he has breached the condition 4(e)(i) of the said notification.	Goods manufactured in the industrial unit availing benefit of the said notification including packing material thereof.	Full amount of tax levied or leviable due to breach of condition 4(e)(i) of the said notification.	Period during which the benefit of exemption has been availed by the unit.	(i) such beneficiary unit is either closed upto 31.03.2007 or declared sick under the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985(Central Act No. 1 of 1986) upto 31.03.2007 and the land of the beneficiary unit has not been sold for the purpose other than industrial purpose; (ii) the tax charged or collected for the period for which the unit has availed the benefit of incentive under the said notification, if any, shall be deposited by the dealer; and

					(iii) tax, penalty and interest, deposited, if any, in the Government Exchequer against demand created in any assessment or rectification order due to breach of condition 4(e)(i) of the said notification for the period for which benefit of exemption has been availed under the said notification, shall not be refunded.

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-93]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government